न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (S.D.O.) शिवगंज, जिला–सिरोही

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शकुंतला, R.A.S

प्रार्थीगण		अप्रार्थी
श्री चामुण्डा माताजी का मंदिर जोजावर स्वर्णकार ट्रस्ट आल्पा घाटा शिवगंज जरिये 1.सचिव–भंवरलाल सोनी पुत्र धर्मचंद सोनी निवासी डॉ0 संपूर्णानंद कॉलोनी सिरोही 2.कोषाध्यक्ष–चम्पालाल सोनी पुत्र तुलसीराम सोनी निवासी सिनेमा गली शिवगंज	बनाम	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता श्री परीक्षित कुमार

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

वाद संख्या 80/2023

–:निर्णय:– दिनांक 19.03.2024

उपखण्ड अधिकारी शिवगंज (राजस्थान)

उक्त उनवान प्रकरण में प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध अप्रार्थी के पेश कर निवेदन किया हैं कि प्रार्थी के कब्जे काश्त की कृषि आराजी मौजा अखापुरा खुणी पटवार हल्का केसरपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक शिवगंज, तहसील शिवगंज में स्थित खसरा नम्बर 510/110 रकबा 0.1902 हेक्टेयर किस्म III, खसरा नं0 511/110 रकबा 0.1902 हैक्टयर किस्म III भूमि आई हुई स्थित हैं। जिस भूमि की राजस्व रेकर्ड में हुई तरमीम की शुद्धी हेतु जरिये सचिव व कोषाध्यक्ष के उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी ट्रस्ट की खातेदारी भूमि मूल खसरा नं0 110 का भाग रहे है सेग्रीगेशन के पूर्व में खसरा नं0 110/19 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा रामसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह जाति राजपूत निवासी शिवगंज के नाम से एवं खसरा नं0 110/16 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा जगदीशसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह जाति राजपूत निवासी शिवगंज के नाम से दर्ज रही है। उपरोक्त पूर्व खसरा नं0 110/19 में से ही 1305 वर्गफीट एवं खसरा नं0 110/16 में से ही 1305 वर्गफीट की भूमि आबादी में संपरिवर्तन की हुई है। खसरा नं0 110/19 में से 1 बीघा 3 बिस्वा 10 बिस्वांसी रामसिंह से रमेश कुमार गदीया पुत्र मोडालालजी गदिया जाति जैन निवासी शिवगंज ने खरीद की एवं रमेशकुमार से प्रार्थी द्वारा व खसरा नं0 110/16 में से 1 बीघा 3 बिस्वा 10 बिस्वांसी जगदीशसिंह से सविता गदिया पत्नी रमेश कुमार गदिया जाति जैन निवासी शिवगंज से खरीद की श्रीमती सविता गदिया से प्रार्थी द्वारा खरीद की हुई है। खसरा नं0 110/19 में से रमेश कुमार द्वारा खरीद की गई भूमि के नये खसरा नं0 510/110 रकबा 0.1902 हेक्टयर (सेग्रीगेशन से पूर्व रकवा 1–03–10 बीघा) व खसरा नं0 110/16 में से सविता गदिया द्वारा खरीद की गई भूमि के नये खसरा नं0 511/110 रकबा 0.1902 हैक्टयर (सेग्रीगेशन से पूर्व रकबा 1–03–10 बीघा) बने तथा उक्त खसरों में से आबादी में परिवर्तन हुई भूमि जो राजस्व रेकर्ड में रामसिंह के नाम से खातेदारी की दर्ज है। जिसके खसरा नं0 110/19 रकबा 0.0121 हैक्टयर किस्म III व खसरा नं0 110/16 रकबा 0.0121 हेक्टयर किस्म III जगदीशसिंह के नाम से खातेदारी में दर्ज रहे हुए है। जिसमें उपरोक्त भूमि का पटटा नगरपालिका द्वारा जारी किया हुआ है जो [illegible] रमेशकुमार गदिया व सविता गदिया द्वारा रामसिंह व जगदीशसिंह से [illegible] कुमार गदिया व सविता गदिया से प्रार्थी ने खरीद की हुई है [illegible] भूमि खसरा नं0 110/19 व 510/110 के पूर्व में खसरा नं0 110/1/2 व खसरा नं0 110/1[illegible] व 510/110 के पूर्व में खसरा नं0 110/1/1 दर्ज रहे है। जो भूमि शिवगंज से पालडी जोड जाने वाले रास्ते पर स्थित है। जिस भूमि पर एक मात्र कब्जा स्वामित्व प्रार्थीगण का ही चला आ रहा है इस प्रार्थना पत्र में उक्त आराजी को वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.04.02 10:45:36 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज–2

प्र0सं0 80/2023
श्री चामुण्डा माता बनाम तहसीलदार शिवगंज
अन्तर्गत धारा 131, 136 एलआरएक्ट

उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 510/110 रकबा 0.1902 हैक्टर व खसरा नम्बर 110/19 रकबा 0.0121 हैक्टर के सेग्रीगेशन के पूर्व में खसरा नम्बर 110/19 (110/1/2) रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा से बना हैं एवम् खसरा नम्बर 511/110 रकबा 0.1902 हैक्टर व खसरा नम्बर 110/16 रकबा 0.0121 हैक्टर के सेग्रीगेशन के पूर्व में खसरा नम्बर 110/16 (110/1/1) रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा से बना हैं जिसके मूल खसरा नम्बर 110 स्थित रहे हैं। वर्तमान में दौरान सेग्रीगेशन करते समय सम्पूर्ण राजस्व रेकर्ड को ऑन लाईन किया गया तथा राजस्व नक्शा में भी खसरा नम्बरान् की भूमि को अलग अलग तरमीम किया गया। सेग्रीगेशन के दौरान प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 510/110 रकबा 0.1902 हैक्टर व खसरा नम्बर 511/110 रकबा 0.1902 हैक्टर राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये गये लेकिन राजस्व नक्शा में खसरा नम्बर 510/110, 511/110 की तरमीम मौका स्थिति के विपरित दर्ज की गई यानि सेग्रीगेशन के पूर्व के खसरा नम्बर 510/110, 511/110 का जिस स्थान पर कब्जा स्थित हैं उस स्थान पर खसरा नम्बर 110/19 व खसरा नम्बर 110/16 तरमीम किया गया हैं, जबकी खसरा नम्बर 110/19 व खसरा नम्बर 110/16 आबादी के लेकिन राजस्व रेकर्ड में पूर्व खातेदार के नाम ही दर्ज हैं जबकी उक्त भूमि का पट्टा जारी होने के बाद प्रार्थी द्वारा पूर्व खातेदारान् से खरीद किया हुआ हैं जो खसरा नम्बर 510/110, 511/110 के अन्दर ही स्थित हैं, खसरा नम्बर 510/110 पूर्व में खसरा नम्बर 110/19 का एवम् खसरा नम्बर 511/110 पूर्व में खसरा नम्बर 110/16 का भाग रहा हैं वर्तमान में खसरा नम्बर 510/110 व खसरा नम्बर 511/110 की तरमीम गलत कर दी गई हैं तथा खसरा नम्बर 110/19 व खसरा नम्बर 110/16 की तरमीम कब्जा से भी अधिक यानि खसरा नम्बर 510/110 व खसरा नम्बर 511/110 के स्थान पर की गई हैं जो तरमीम राजस्व कर्मचारियो द्वारा अपनी मनमर्जी से की गई हैं जबकी मौके पर आज भी हम प्रार्थीगण का कब्जा राजस्व नक्शा में दर्ज खसरा नम्बर 110/19 व 110/16 पर चला आ रहा हैं। लेकिन राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 510/110, 511/110 की भूमि का तरमीम गलत करते हुये अन्य स्थान पर दर्शाया गया हैं, जबकी खसरा नम्बर 510/110, 511/110 का कब्जा वर्तमान में दर्ज खसरा नम्बर 110/19, 110/16 के स्थान पर उपरोक्त खसरा के साथ साथ प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं जिससे उसी स्थान पर उपरोक्त चारो खसरो को साथ साथ तरमीम संलग्न नक्शा अनुसार दर्ज किया जाना आवश्यक हैं। प्रार्थी द्वारा पालडी जोड़–शिवगंज रोड़ पर स्थित अपनी खरीदसुदा खातेदारी भूमि व खरीदसुदा पट्टासुदा भूमि पर निर्माण कर भूमि में सुधार कार्य भी करवाया हैं। प्रार्थी को अपने खातेदारी हक अधिकार की भूमि व आबादी पट्टासुदा भूमि के उपयोग उपभोग एवम् सुधार कार्य करवाने मे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा हैं तथा मौका स्थिति के अनुसार राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस मे तरमीम नही किये जाने से प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि का सीमांकन करवाने एवम् धोरा पाली, तारबंदी व बाड आदि करते समय एवम् सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करते समय परेशानी का सामना करना पड़ता हैं। जिससे जरिये शुद्धि के राजस्व नक्शा में सही किया जाना आवश्यक एवम् न्याय संगत हैं। जिससे मौके पर काबिज स्थित अनुसार सीमांकन कर राजस्व नक्शा में खसरा नम्बर 110/19 के स्थान पर जरिये शुद्धि के खसरा नम्बर 510/110 रकबा 0.1902 हैक्टर व उक्त खसरा के अन्दर की खसरा नम्बर 110/19 रकबा 0.0121 हैक्टर की किस्म आबादी दर्ज की जावें तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 110/16 के स्थान पर जरिये शुद्धि के खसरा नम्बर 511/110 रकबा 0.1902 हैक्टर व उक्त खसरा के अन्दर की खसरा नम्बर 110/16 रकबा 0.0121 हैक्टर किस्म आबादी दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.04.02 10:45:36 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज–3

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

प्र0सं0 80 / 2023
श्री चामुण्डा माता बनाम तहसीलदार शिवगंज
अन्तर्गत धारा 131, 136 एलआरएक्ट

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार शिवगंज से रिपोर्ट चाही गई जिस पर तहसीलदार शिवगंज ने अवगत कराया है कि ग्राम अखापुरा खुणी का खसरा नम्बर 511 / 110 क्षैत्रफल 0.1902 हैक्टयर श्री चामुण्डा माताजी का मंदिर जोजावर स्वर्णकार ट्रस्ट आल्पा घाटा तहसील शिवगंज तथा खसरा नम्बर 510 / 110 क्षैत्रफल 0.1902 हैक्टयर श्री चामुण्डा माताजी का मंदिर जोजावर स्वर्णकार ट्रस्ट आल्पा घाटा तहसील शिवगंज के नाम वर्तमान रिकार्ड अनुसार दर्ज है। ग्राम अखापुरा खुणी की जमाबन्दी सं. 2064–67 में खसरा नं. 110 / 1 / 1 क्षैत्रफल 1.05 बीघा जगदीश सिंह पुत्र मोहब्बत सिंह जाति राजपुत निवासी शिवगंज खातेदार के नाम दर्ज था परन्तु नवीन जमाबन्दी सं. 2068–71 बनने पर खसरा नं. 110 / 1 / 1 के स्थान पर खसरा नं. 110 / 16 क्षै. 1.05 बीघा जगदीश सिंह पुत्र मोहब्बत सिंह जाति राजपुत निवासी शिवगंज दर्ज हो गया। जमाबन्दी सं. 2064.–67 में खसरा नं. 110 / 1 / 2 क्षै. 1.05 बीघा रामसिंह पुत्र मोहब्बत सिंह जाति राजपुत निवासी शिवगंज खातेदार के नाम दर्ज था परन्तु नवीन जमाबन्दी सं. 2068–71 में खसरा नं. 110 / 1 / 2 के स्थान पर ख.सं. 110 / 19 क्षै. 1.05 बीघा रामसिंह पुत्र मोहब्बत सिंह जाति राजपुत निवासी शिवगंज के नाम दर्ज हो गया। एवं खसरा नम्बर 110 / 16 क्षै. 1.05 बीघा मे से जगदीश सिंह पुत्र मोहब्बत सिंह जाति राजपुत निवासी शिवगंज द्वारा क्षै. 1.03.10 बीघा भूमि बेचान करने पर ख.सं. 511 / 110 क्षैत्रफल 1.03.10 बीघा नामांतरकरण सं0 469 दिनांक 5.9.2014 द्वारा सविता गदिया पत्नी रमेश गदिया जाति जैन निवासी गली नं. 5 रायचन्द कालोनी छावणी शिवगंज हाल निवासी मैन रोड गणपति चौक कामशेट तालुका मावल जिला पुणे महाराष्ट के नाम दर्ज हो गया तथा शेष खसरा नं. 110 / 16 क्षै. 0.01.10 बीघा जगदीश सिंह पुत्र मोहब्बत सिंह जाति राजपुत के नाम यथावत रहा। ख.नं. 110 / 19 क्षै. 1.05 बीघा मे से रामसिंह पुत्र मोहब्बत सिंह जाति राजपुत द्वारा क्षै. 1.03.10 बीघा बेचान करने पर ख.नं. 510 / 110 क्षै. 1.03.10 बीघा नामान्तरकरण संख्यां 468 दिनांक 05.09.2014 द्वारा रमेश गदिया पुत्र मोडालाल गदिया जाति जैन नि. गली नं. 5 रायचन्द कालोनी छावणी शिवगंज हाल नि. मैन रोड गणपति चौक कामशेट तालुका मावल जिला पुणे महाराष्ट के नाम दर्ज हो गया तथा शेष ख.नं. 110 / 19 क्षै. 0.01.10 बीघा से राम सिंह पुत्र मोहब्बत सिंह जाति राजपुत के नाम यथावत रहा। तथा खसरा सं0 110 / 16 क्षैत्रफल 0.01.10 बीघा जगदीश सिंह पुत्र मोहब्बत सिंह जाति राजपुत के नाम यथावत रहा। प्रार्थी श्री चामुण्डा माताजी का मंदिर जोजावर स्वर्णकार ट्रस्ट आल्पा घाटा उक्त ख.नं. 510 / 110 एवं खसरा नं0 511 / 110 के पश्चातवर्ती हस्तान्तरिति हैं। प्राथी द्वारा प्रस्तुत नक्शे अनुसार ख.सं. 110 / 1 / 1 व 110 / 1 / 2 शिवगंज से पालडी जोड जाने वाले सडक से लगते हुए ही स्थित हैं तथा मौके पर भी यह ख.नं. शिवगंज से पालडी जोड जाने वाले सडक से लगते हुए ही स्थित हैं ख.नं. 510 / 110 ख. नं. 110 / 1 / 2 व खं.नं. 511 / 110 ख.नं. 110 / 1 / 1 के ही टुकडे हैं, परन्तु DILRMP के तहत नक्शे बनाते समय ख.नं. 510 / 110 व 511 / 110 को मौके पर कब्जे से काफी दूर दर्शाया गया है। जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

दिनांक 19.03.2024 को प्रार्थी अधिवक्ता एवं अप्रार्थी स्टेट की और से पेरोकार सरकार (नायब तहसीलदार) शिवगंज की उपस्थिति में प्रार्थना पत्र पर बहस की, जिसे सुना गया। पेरोकार सरकार ने प्रस्तुत प्रस्तावित संशोधित नक्शे में तरमीम शुद्ध किये जाने को उचित बताया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.04.02 10:45:36 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज–4

प्र0सं0 80/2023
श्री चामुण्डा माता बनाम तहसीलदार शिवगंज
अन्तर्गत धारा 131, 136 एलआरएक्ट

–::आदेश::–

हमनें पत्रावली, संलग्न दस्तावेजों व तहसीलदार शिवगंज की रिपोर्ट का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार योग्य होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार शिवगंज को आदेश दिया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड में **मौजा अखापुरा खुणी पटवार हल्का केसरपुरा तहसील शिवगंज के खसरा नम्बर 510/110, 511/110, 110/16, व 110/19 रकबा कमशः 0.1902, 0.1902, 0.0121, 0.0121 हैक्टयर भूमि का माफिक कब्जा व नक्शा लटठा अनुसार तरमीम त्रुटि को दुरूस्त किया जावे। स्वीकृत प्रस्तावित नक्शा आदेश का अभिन्न अंग माना जावे।** तहसीलदार शिवगंज को उक्त निर्णय तथा दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां भेजकर पालना रिपोर्ट मंगवाई जावे। पत्रावली फेसल शुमार होकर नं0 से कम हो।

यह निर्णय आज दिनांक 19.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(शकुंतला, R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)
शिवगंज (सिरोही)
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

दिनांक 19.03.2024

क्रमांक/कोर्ट/2024/1८1
प्रतिलिपि पालनार्थ हेतु :–
तहसीलदार शिवगंज ।

उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)
शिवगंज
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.04.02 10:45:36 IST
Reason: SelfAttested